प्ररूप–ड.
(नियम 8(2)देखिये)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मनेन्द्रगढ
जिला मनेन्द्रगढ–चिरमिरी–भरतपुर (छ0ग0)

//अनुमति//

रा0प्र0क्र0–202412330400018/अ–62/2024–25,
आदेश दिनांक 31/12/2024

क्रमांक /3340/वाचक–5/वृक्ष कटाई/2024 मनेन्द्रगढ दिनांक 31/12/2024

प्रति,

किफायतउल्ला
आ0 रहमतउल्ला,
निवासी ग्राम सिरौली तह0 मनेन्द्रगढ़
जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर(छ0ग0)

विषय :– भूमिस्वामी की भूमि में रोपित वृक्षों की कटाई हेतु अनुमति।

––0––

आपके द्वारा वृक्ष कटाई नियम 2022 के तहत् ग्राम सिरौली स्थित भूमि ख0नं0 970 रकबा 0.2200 वर्गफीट पर कुल 13 नग रोपित वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व निरीक्षक ग्रामीण एवं परिक्षेत्र सहायक मनेन्द्रगढ़ का प्रकरण में संलग्न संयुक्त जांच प्रतिवेदन सह पंचनामा व प्रजातिवार वृक्षों की गणना सहित संयुक्त जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम सिरौली स्थित भूमि ख0नं0 970 रकबा 0.2200 वर्गफीट पर कुल 13 नग रोपित वृक्षों को काटे जाने पर, संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन एवं संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुमति दी जाती है।

छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 के नियम 8 के अनुसार छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा। सक्षम अनुशंसा प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी पृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एव शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग व्दारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग व्दारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी। उपरोक्त नियम व शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कलैण्डर वर्ष तक मान्य होगा।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
मनेन्द्रगढ़, जिला एम0सी0बी0(छ0ग0)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

पृष्ठा.क्र./3390A/वाचक–5/वृक्ष कटाई/2024 मनेन्द्रगढ दिनांक 31/12/2024

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय, जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर(छ0ग0) की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त नियम व शर्तो का पालन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. तहसीलदार मनेन्द्रगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। वृक्षों की कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
मनेन्द्रगढ़, जिला एम0सी0बी0(छ0ग0)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
मनेन्द्रगढ़, जिला-एम.सी.बी. (छ.ग.)

Scanned with CamScanner